



जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार  
(विधान मंडल सहित)

# राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कार्य, 2006

विषय सूची  
मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट  
मध्यावधि वित्तीय नीति संबंधी विवरण।  
वित्तीय नीति की कार्यनीति संबंधी विवरण

**वित्त विभाग**  
(संसाधन प्रभाग)

जुलाई, 2024

## प्रस्तावना

**जम्मू और कश्मीर एफआरबीएम अधिनियम, 2006** को 12<sup>वें</sup> वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2006 को पारित किया गया है।

### एफआरबीएम अधिनियम के तीन प्रमुख उद्देश्य:

- सरकार को "राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत इकिटी सुनिश्चित करने" के लिए उत्तरदायी बनाने का तात्पर्य यह है कि उधारी कुछ भी नहीं है लेकिन विलम्बित करारोपण है तथा सरकार का अपनी क्षमता से आगे बढ़कर कार्य व्यवहार करने से आगे आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है।
- सरकार को "दीर्घा वधिव्यापक आर्थिक स्थिरता" सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाना क्योंकि सरकार द्वारा अविवेचित उधारियां लेने से निजी निवेश में कमी आती है, मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है या भुगतान संतुलन संकट की स्थिति उत्पन्न होती है और अंततः व्यापक आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है।
- सरकार को "मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं" को दूर करने के लिए उत्तरदायी बनाना क्योंकि घाटे में निरंतर वृद्धि से आरबीआई के धनापूर्ति को नियंत्रित करने की क्षमता में बाधा आती है क्योंकि आरबीआई सरकार का ऋण प्रबंधक भी होता है।

### एफआरबीएम अधिनियम में अंतर्निहित कार्य नीति के तीन पहलू:

- समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी उधारियों पर पाबंदियां ताकि राजस्व घाटे को खत्म किया जा सके और राजकोषीय घाटे को विवेकपूर्ण सीमा तक लाया जा सके।
- बजट दस्तावेज के साथ निश्चित विवरणों को लाकर बजट योजना में मध्यावधि दृष्टिकोण का सूत्रपात करना।
- घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में किसी भी तरह की कमी से बचने के लिए सरकार के राजकोषीय संचालन में पारदर्शिता में सुधार के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन में सुधार लाना।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसरण में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ संसद के पटल पर रखे जाने वाले विवरण इस प्रकार हैं:-

व्यापक आर्थिक रूप रेखा विवरण  
मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति विवरण  
राजकोषीय नीति रणनीति विवरण

**प्रपत्र -I**  
**व्यापक आर्थिक रूपरेखा विवरण**

**राज्य अर्थव्यवस्था का अवलोकन**

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए 2,45,022 करोड़ रुपये का जीएसडीपी अपनाया गया है, जो वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के जीएसडीपी आंकड़े से 7.5% की वृद्धि दर्शाता है, यानी 2,27,927 करोड़ रुपये। वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर का जीएसडीपी 1,99,917 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 की तुलना में जीएसडीपी वृद्धि में 14.01% की वृद्धि दर्ज की गई।

जीएसडीपी के ये आंकड़े एफआरबीएम अधिनियम-2006 के अनुसार उधार लेने की सीमा अर्थात्- राजकोषीय मानदंडों को तय करने के प्रयोजन के आधार हैं।

**जम्मू और कश्मीर के वित्त का अवलोकन**

**स्वयं के संसाधन:**

**कर निष्पादन**

जम्मू और कश्मीर के कर निष्पादन का विवरण इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राजस्व के स्रोत | 1988-89 | 1998-99<br>(10वर्ष की वृद्धि) | 2008-09<br>(10वर्ष की वृद्धि) | 2015-16<br>(07 वर्ष की वृद्धि) | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---------|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.      | कर राजस्व       | 138     | 437                           | 2683                          | 7326                           | 7819    | 9536    | 9826    | 9467    | 10977   | 15552   | 12335   |
| 2.      | गैर कर राजस्व   | 100     | 283                           | 837                           | 3913                           | 4072    | 4362    | 4188    | 4260    | 4076    | 4841    | 5148    |

**गैर-कर निष्पादन**

गैर-कर प्राप्तियों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

| वर्ष                            | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---------------------------------|--------|---------|
| 2008-09                         | 1127   | 837     |
| 2009-10                         | 1294   | 955     |
| 2010-11                         | 1475   | 1093    |
| 2011-12                         | 1851   | 2002    |
| 2012-13                         | 2765   | 2160    |
| 2013-14                         | 3321   | 2870    |
| 2014-15                         | 3561   | 1978    |
| 2015-16                         | 3455   | 3913    |
| 2016-17                         | 4024   | 4072    |
| 2017-18                         | 5389   | 4362    |
| 2018-19                         | 4188   | 4188    |
| 2019-20                         | 3432   | 4260    |
| 2020-21                         | 6193   | 4076    |
| 2021-22                         | 8209   | 4841    |
| 2022-23 (पूर्व-वास्तविक स्थिति) | 8648   | 5148    |

**प्रपत्र-1 (जारी..)**  
**व्यापक आर्थिक रूप रेखा विवरण आर्थिक निष्पादन – एक दृष्टि में**  
**तालिका 1**  
**चुनिंदा व्यापक आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों में प्रवृत्तियां**

|     |                                                           | संपूर्ण मूल्य                             |                             |                                |                            | प्रतिशतता में परिवर्तन          |                                |                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|     |                                                           | अप्रैल-रिपोर्टिंग अवधि<br>(करोड़ रु. में) |                             |                                |                            | अप्रैल-रिपोर्टिंग अवधि          |                                |                            |
|     |                                                           | 2021-22<br>(पूर्व-<br>वास्तविक)           | 2022-23<br>(पूर्व-वास्तविक) | 2023-24<br>(संशोधित<br>अनुमान) | 2024-25<br>(बजट<br>अनुमान) | 2022-23<br>(पूर्व-<br>वास्तविक) | 2023-24<br>(संशोधित<br>अनुमान) | 2024-25<br>(बजट<br>अनुमान) |
| 1   | 2                                                         | 3                                         | 4                           | 5                              | 6                          | 7                               | 8                              | 9                          |
|     | रियल सेक्टर                                               |                                           |                             |                                |                            |                                 |                                |                            |
| 1   | कारक लागत पर जीएसडीपी                                     | 199917                                    | 227927                      | 245022                         | 263399                     | 14.01                           | 7.5                            | 7.5                        |
| 2   | कृषि उत्पादन (वर्तमान मूल्य पर)                           |                                           |                             |                                |                            |                                 |                                |                            |
| 3   | औद्योगिक उत्पादन (वर्तमान मूल्य पर)                       |                                           |                             |                                |                            |                                 |                                |                            |
| 4   | तृतीयक क्षेत्र का उत्पादन (वर्तमान मूल्य पर)              |                                           |                             |                                |                            |                                 |                                |                            |
|     | सरकारी वित्तीयन                                           |                                           |                             |                                |                            |                                 |                                |                            |
| 1   | राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)**                              | 63084                                     | 68976                       | 84603                          | 98719                      | 9.34                            | 22.66                          | 16.68                      |
| 2   | कर राजस्व (2.1+2.2)                                       | 16445                                     | 12753                       | 16073                          | 20860                      | -22.45                          | 26.03                          | 29.78                      |
| 2.1 | स्व-कर राजस्व                                             | 16445                                     | 12753                       | 16073                          | 20860                      | -22.45                          | 26.03                          | 29.78                      |
| 2.2 | केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा                         |                                           |                             |                                |                            |                                 |                                |                            |
| 3   | गैर-कर राजस्व और केंद्रीय अंतरण (3.1+3.2)                 | 46639                                     | 56223                       | 67530                          | 76859                      | 20.55                           | 16.37                          | 13.81                      |
| 3.1 | राज्य का अपना गैर कर राजस्व                               | 4841                                      | 5148                        | 7864                           | 9726                       | 6.34                            | 52.76                          | 23.68                      |
| 3.2 | केंद्रीय अंतरण                                            | 41798                                     | 51075                       | 59666                          | 67133                      | 22.19                           | 16.82                          | 12.51                      |
| 4   | अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम)/आस्तिमौद्रीकरण/सीआरआईएसपी | -                                         | -                           | 1000                           | 1000                       |                                 |                                |                            |
| 5   | पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)#                              | 11494                                     | 8689                        | 23594                          | 19671                      | -24.4                           | 171.54                         | -16.63                     |
| 6   | ऋण और अग्रिम से वसूली                                     | 0                                         | 1                           | 6                              | 6                          |                                 |                                |                            |
| 7   | अन्य प्राप्तियां/गैर ऋण सृजन                              | -725                                      | 609                         | 46                             | 53                         | -184                            | -92.45                         | 15.22                      |
| 8   | उधारियां और अन्य देयताएं                                  | 12219                                     | 8079                        | 23542                          | 19612                      | -33.88                          | 191.40                         | -16.69                     |
| 9   | कुल प्राप्तियां (1+5)*                                    | 74578                                     | 77665                       | 108197                         | 118390                     | 4.1                             | 39.31                          | 9.42                       |
| 10  | कुल व्यय*                                                 | 74578                                     | 77665                       | 108197                         | 118390                     | 4.1                             | 39.31                          | 9.42                       |
| 11  | राजस्व खाता, जिनका                                        | 59269                                     | 62999                       | 76155                          | 81486                      | 6.29                            | 20.88                          | 7.00                       |

|                  |      |      |      |       |       |       |      |
|------------------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| (क) ब्याज भुगतान | 7360 | 8553 | 9435 | 10272 | 16.21 | 10.31 | 8.87 |
| (ख) सब्सिडी/     |      |      |      |       |       |       |      |

|    |                                                 |              |              |               |                |                |                  |                |
|----|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|    | (ग) वेतन/मजदूरी                                 | 26077        | 27838        | 30575         | 29412          | 6.76           | 9.82             | -3.80          |
|    | (घ) पेंशन भुगतान                                | 11563        | 11142        | 13646         | 14058          | -3.64          | 22.47            | 3.02           |
| 12 | पूँजी खाता (कैपेक्स)                            | <b>15309</b> | <b>14666</b> | <b>32042</b>  | <b>36904</b>   | -4.2           | 118.48           | 15.17          |
|    | जिनकी ऋण और अग्रिम भुगतान वापसियां              | 72<br>4188   | 60<br>4032   | 22<br>10420   | 29<br>11710    | -16.67<br>-3.7 | -63.33<br>158.43 | 31.81<br>12.38 |
| 13 | योजनागत व्यय                                    |              |              |               |                |                |                  |                |
| 14 | राजस्व खाता                                     |              |              |               |                |                |                  |                |
| 15 | पूँजीगत खाता                                    |              |              |               |                |                |                  |                |
| 16 | ऋण और अग्रिम सहित कुल व्यय(11+12)               | <b>74578</b> | <b>77665</b> | <b>108197</b> | <b>118390</b>  | 4.14           | 39.31            | 9.42           |
| 17 | राजस्व व्यय                                     | <b>59269</b> | <b>62999</b> | <b>76155</b>  | <b>81486</b>   | 6.29           | 20.88            | 7.00           |
| 18 | पूँजीगत व्यय                                    | <b>15309</b> | <b>14666</b> | <b>32042</b>  | <b>36904</b>   | -4.2           | 118.48           | 15.17          |
| 19 | राजस्व अधिशेष                                   | 3815         | 5977         | 8448          | 17233          | 56.67          | 41.34            | 103.99         |
| 20 | राजकोषीय घाटा                                   | <b>8031</b>  | <b>5975</b>  | <b>13122</b>  | <b>7902</b>    | -28.9          | 51.04            | -39.78         |
| 21 | जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा*** | <b>4.01</b>  | <b>2.62</b>  | <b>5.36</b>   | <b>3.00</b> \$ |                |                  |                |
| 22 | प्राथमिक घाटा                                   | <b>671</b>   | <b>-2578</b> | 3687          | -2370          | -97.2          |                  |                |

#### टिप्पणियां:-

**\$ 2024-25 (बीई) के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.00% है।**

\* समग्र प्राप्ति और व्यय में क्रमशः आरई 2023-24 और बीई 2024-25 के लिए 19423 करोड़ रुपये का अग्रिम और 13713 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट (ओडी) शामिल नहीं है।

\*\* राजस्व प्राप्तियों में आरई 2023-2024 में 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संसाधन जुटाना (एआरएम)/संसाधनों को सिस्टम पूल (सीआरआईएसपी) में शामिल करना/संपत्ति मुद्रीकरण शामिल है।

\*\*\* वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एआरएम सहित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% होगा जो आरई 2023-24 में 5.36% था। राजकोषीय घाटा जो पिछले वर्षों में बहुत अधिक था, केंद्रीय हस्तांतरण के उच्च स्तर के कारण एफआरबीएम सीमा के भीतर लाया गया है।

# वर्ष 2022-23 के लिए उधार की गणना ₹ 2,27,927 करोड़ के जीएसडीपी पर की गई।

i. राजकोषीय संकेतकों के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए जीएसडीपी आंकड़े।

ii. पूँजीगत प्राप्तियां और संवितरण आरबीआई से डब्ल्यूएमए/ओडी के दायरे से बाहर हैं।

iii. आरबीआई से डब्ल्यूएमए की औसत राशि ₹ 222.60 करोड़।

iv. आरबीआई से ओडी की औसत राशि ₹ 147.16 करोड़।

v. ओडी के दिनों की संख्या = 92 दिन (लगभग)।

vi. ओडी/माह के अवसरों की संख्या = 8/माह (लगभग)।

(31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए सूचना)।

## प्रपत्र एफ-2

(नियम 3 और 4 देखें)

### मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण

#### क. राजकोषीय संकेतक -क्रमिक लक्ष्य

|                                                                                     | पिछले वर्ष<br>(वाई-2) पूर्व-<br>वास्तविक स्थिति<br>2021-22 | चालू वर्ष (वाई-1)<br>(बजट अनुमान)<br>2022-23 लक्ष्य | चालू वर्ष (वाई-1)<br>(संशोधित<br>अनुमान) | आगामी वर्ष<br>(वाई) (बजट<br>अनुमान)<br><br>2023-24 | अगले दो वर्षों का लक्ष्य |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|
|                                                                                     |                                                            |                                                     | 2022-23                                  |                                                    |                          |         |
|                                                                                     |                                                            |                                                     |                                          |                                                    | 2024-25                  | 2025-26 |
| 1.कुल राजस्व प्राप्तियों<br>(टीआरआर) के<br>प्रतिशत के रूप में<br>राजस्व अधिशेष/घाटा |                                                            |                                                     |                                          |                                                    |                          |         |
| 2. जीएसडीपी के<br>प्रतिशत के रूप में<br>राजकोषीय घाटा                               |                                                            |                                                     |                                          |                                                    |                          |         |
| 3. जीएसडीपी के<br>प्रतिशत के रूप में<br>कुल बकाया देयताएं                           |                                                            |                                                     |                                          |                                                    |                          |         |

टिप्पणी:- तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

### प्रपत्र डी-1

(नियम 7 देखें)

चुनिंदा राजकोषीय संकेतक

(प्रतिशत में)

| क्र. सं. | मद                                                      | 2022-23<br>(पूर्व-वास्तविक स्थिति) | 2023-24<br>(संशोधित अनुमान) |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | जीएसडीपी के % के रूप में सकल राजकोषीय घाटा              |                                    |                             |
| 2        | सकल राजकोषीय घाटे के % के रूप में राजस्व अधिशेष         |                                    |                             |
| 3        | जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व अधिशेष                  |                                    |                             |
| 4        | टीआरआर के % के रूप में राजस्व अधिशेष                    |                                    |                             |
| 5        | कुल देयताएं – जीएसडीपी अनुपात (%)                       |                                    |                             |
| 6        | कुल देयताएं-कुल राजस्व प्राप्तियां (%)                  |                                    |                             |
| 7        | कुल देयताएं- राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%)       |                                    |                             |
| 8        | राजस्व व्यय के लिए राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%) |                                    |                             |
| 9        | सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय |                                    |                             |
| 10       | राजस्व प्राप्तियों के % के रूप में ब्याज भुगतान         |                                    |                             |
| 11       | राजस्व प्राप्तियों के % के रूप में वेतन व्यय            |                                    |                             |
| 12       | राजस्व प्राप्तियों के % के रूप में पेंशन व्यय           |                                    |                             |
| 13       | कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में गैर विकासात्मक व्यय   |                                    |                             |
| 14       | कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में केंद्र से सकल अंतरण   |                                    |                             |
| 15       | टीआरआर के प्रतिशत के रूप में गैर-कर राजस्व              |                                    |                             |

टिप्पणी:- तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रपत्र डी-2

(नियम 7 देखें)

क. जम्मू और कश्मीर सरकार की देयताओं के घटक

(करोड़ रु. में)

| श्रेणी                              | वित्तीय वर्ष के दौरान लिया गया |                                    | वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान वापसी/मोचन |                                    | बकाया राशि (मार्च अंत)       |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                     | 2021-22<br>(वास्तविक स्थिति)   | 2022-23<br>(पूर्व-वास्तविक स्थिति) | 2021-22<br>(वास्तविक)                   | 2022-23<br>(पूर्व-वास्तविक स्थिति) | 2021-22<br>(वास्तविक स्थिति) | 2022-23<br>(पूर्व-वास्तविक स्थिति) |
| बाजार उधारियां                      | 8562                           | 8473                               | 2975                                    | 2150                               | 49313                        | 55636                              |
| केंद्र से ऋण                        | 0                              | 0                                  | 119                                     | 120                                | 951                          | 831                                |
| एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 5000                           | 0                                  | 349                                     | 849                                | 7456                         | 6607                               |
| वित्तीय संस्थानों/बैंकों से उधार    | 535                            | 681                                | 531                                     | 559                                | 3451                         | 3573                               |
| आरबीआई से डब्ल्यूएमए (निवल)         | -1285                          | -1075                              | 0                                       | 0                                  | 1192                         | 116                                |
| लघुबचत, भविष्य निधि आदि (निवल)      | -595                           | 853                                | 0                                       | 0                                  | 28753                        | 29606                              |
| आरक्षी निधि/जमा (निवल)              | 480                            | 1142                               | 0                                       | 0                                  | 12315                        | 13458                              |
| अन्य देयताएं                        | 0                              | 0                                  | 0                                       | 0                                  | 0                            | 0                                  |
| उदय पावर बॉन्ड्स*                   | 0                              | 0                                  | 214                                     | 354                                | 3324                         | 2970                               |
| कुल योग:                            | <b>12697</b>                   | <b>10074</b>                       | <b>4188</b>                             | <b>4032</b>                        | <b>106755</b>                | <b>112797</b>                      |
| <b>ऑफबजट</b>                        |                                |                                    |                                         |                                    |                              |                                    |
| जेकेपीसीएल                          | 4310                           | 11292                              | 0                                       | 0                                  | 10232                        | 21614                              |
| जेकेआईडीएफसी                        | 850                            | 250                                | 75                                      | 75                                 | 2123                         | 2298                               |
| कुल योग:                            | <b>5160</b>                    | <b>11542</b>                       | <b>75</b>                               | <b>75</b>                          | <b>12355</b>                 | <b>23912</b>                       |
| <b>सकल योग</b>                      | <b>17857</b>                   | <b>21616</b>                       | <b>4263</b>                             | <b>4107</b>                        | <b>119200</b>                | <b>136709</b>                      |

**प्रपत्र डी-2**

(नियम 7 देखें)

**ख. जम्मू और कश्मीर देयताओं पर भारित औसत ब्याज दरें**

(प्रतिशत में)

| श्रेणी                                                               | वित्तीय वर्ष के दौरान लिया गया |                                    | बकाया राशि (मार्च अंत)       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                                                      | 2021-22<br>(वास्तविक स्थिति)   | 2022-23<br>(पूर्व वास्तविक स्थिति) | 2021-22<br>(वास्तविक स्थिति) | 2022-23<br>(पूर्व वास्तविक स्थिति) |
| बाजार उधारियां                                                       | 7.05                           | 7.72                               | 8.82                         | 7.83                               |
| केंद्र से ऋण                                                         | 0.00                           | 0.00                               | 4.50                         | 4.87                               |
| एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां                                  | 7.30                           | 0.00                               | 8.20                         | 8.15                               |
| वित्तीय संस्थानों/बैंकों से उधार                                     | 5.25                           | 5.25                               | 6.24                         | 5.74                               |
| आरबीआई से डब्ल्यूएमए/ओडी/जेके बैंक से ओडी (मार्च 2012 की समाप्ति पर) | 4.00                           | 4.00                               | 4.00                         | 4.00-6.50                          |
| लघुबचत, भविष्यनिधि आदि                                               | 7.1                            | 7.1                                | 6.94                         | 6.64                               |
| आरक्षी निधि/जमा                                                      | 4.00                           | 4.00                               | 4.00                         | 4.00-6.50                          |
| अन्य देयताएं/उदय                                                     | 0.00                           | 0.00                               | 8.03                         | 8.00                               |
| <b>कुल योग(भारित औसत ब्याज दर)</b>                                   |                                |                                    | <b>7.34</b>                  | <b>7.46</b>                        |
| <b>ऑफबजट</b>                                                         |                                |                                    |                              |                                    |
| जेकेपीसीएल                                                           | 9.25-10.00                     | 9.00-10.25                         | 9.5                          | 9.5                                |
| जेकेआईडीएफसी                                                         | 8.88                           | 8.89                               | 8.88                         | 8.89                               |

**प्रपत्र डी-3**  
नियम-7 देखें  
समेकित ऋणशोधन निधि

**(करोड़ रु.में)**

| वर्ष 2022-23<br>की शुरुआत<br>में बकाया | वर्ष 2022-23<br>के दौरान<br>परिवर्धन | वर्ष 2022-23<br>के दौरान<br>आहरण | वर्ष 2022-23<br>के अंत/ चालू<br>वर्ष 2023-24<br>की शुरुआत में<br>बकाया | एसएलआर<br>उधार का<br>(4) स्टॉक<br>(%) | वर्ष<br>2023-24<br>के दौरान<br>परिवर्धन | वर्ष 2023-24<br>के दौरान<br>आहरण | वर्ष 2023-24<br>के अंत/ चालू<br>वर्ष 2024-25<br>की शुरुआत<br>में बकाया | (8)/एसएलआर<br>उधार का<br>स्टॉक(%) |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                      | 2                                    | 3                                | 4                                                                      | 5                                     | 6                                       | 7                                | 8                                                                      | 9                                 |
| 456.50                                 | 58.91                                | 0.00                             | 515.41                                                                 | 1.05                                  | 72.51                                   | 0.00                             | 587.92                                                                 | 1.05                              |

**प्रपत्र डी-4**  
**सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ**  
**क्षेत्र-वार गारंटियों का विवरण**

(लाख रु. में)

| क्षेत्र (ब्रेकेट के दायरे में गारंटियों की संख्या) | अधिकतम गारंटीकृत राशि | वर्ष 2022-23 की शुरुआत में बकाया | वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन | विलोपन (वर्ष 2022-23 के दौरान लागू के अलावा) | वर्ष 2020-21 के दौरान लागू |                        | वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया | गारंटी कमीशन या शुल्क |         | अन्य सामग्री विवरण |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|
|                                                    |                       |                                  |                                |                                              | पूरी की गई गारंटी          | पूरी नहीं की गई गारंटी |                               | प्राप्य               | प्राप्त |                    |
| (1)                                                | (2)                   | (3)                              | (4)                            | (5)                                          | (6)                        | (7)                    | (8)                           | (9)                   | (10)    | (11)               |
| उर्जा (5)                                          | 470020                | 2988746                          |                                | -                                            | -                          | -                      | 2988746                       | -                     | -       | -                  |
| सहकारी (5)                                         | 19121<br>(प्लस ब्याज) | 22778                            | -                              | -                                            | -                          | -                      | 22778                         | -                     | -       | -                  |
| सड़क और परिवहन (1)                                 | -                     | -                                | -                              | -                                            | -                          | -                      | -                             | -                     | -       | -                  |
| राज्य वित्तीय निगम (1)                             | 700<br>(प्लस ब्याज)   | 979                              | -                              | -                                            | -                          | -                      | 979                           | -                     | -       | -                  |
| सूचना और संचार विभाग (जम्मू और कश्मीर सीमेंट) (2)  | 1887                  | 1887                             | -                              | -                                            | -                          | -                      | 1887                          | -                     | -       | -                  |
| सूचना और संचार विभाग (ईडीआई)                       | 7200                  | 23300                            | -                              | -                                            | -                          | -                      | 23300                         | -                     | -       | -                  |
| सामाजिक कल्याण विभाग (डब्ल्यूडीसी) (17)            | 6021                  | 6021                             | -                              | -                                            | -                          | -                      | 6021                          | -                     | -       | -                  |
| सामाजिक कल्याण विभाग (एससी/एसटी/बीसी निगम) (17)    | 7115                  | 7115                             | -                              | -                                            | -                          | -                      | 7115                          | -                     | -       | -                  |
| आवासन और शहरी विकास(7)                             | -                     |                                  | -                              | -                                            | -                          | -                      |                               | -                     | -       | -                  |
| महिला विकास निगम                                   |                       | 10500                            |                                |                                              |                            |                        | 10500                         |                       |         |                    |
| <b>कुल योग (46)</b>                                |                       | <b>3061326</b>                   |                                | -                                            | -                          | -                      | <b>3061326</b>                |                       | -       | -                  |

**टिप्पणी: ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को दर्शाते हैं।**

**फॉर्म डी-5**  
(नियम 7 देखें)  
**बकाया जोखिम-भारित गारंटी**

(करोड़ रुपये)

| चूक की संभावना                                                             | जोखिम भार<br>(प्रतिशत) | पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में<br>बकाया राशि |                                                     | पिछले वर्ष और चालू वर्ष में जोखिम भारित<br>बकाया गारंटी |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                            |                        | पिछला वर्ष                                   | चालू वर्ष                                           | पिछला वर्ष                                              | चालू वर्ष |
| प्रत्यक्ष देयताएँ                                                          |                        | -                                            | -                                                   | -                                                       | -         |
| भारी जोखिम                                                                 |                        | -                                            | -                                                   | -                                                       | -         |
| मध्यम जोखिम                                                                |                        |                                              |                                                     |                                                         |           |
| अल्प जोखिम                                                                 |                        | -                                            | सभी प्रकार की गारंटी पर जोखिम भार का औसत (प्रतिशत)। |                                                         |           |
| अति अल्प जोखिम                                                             |                        | -                                            | -                                                   | -                                                       | -         |
| कुल बकाया                                                                  | -                      | -                                            | -                                                   | -                                                       | -         |
| नोट: विभिन्न जोखिम श्रेणियों के लिए जोखिम भार पूर्व-निर्दिष्ट किया गया है। |                        |                                              |                                                     |                                                         |           |

फॉर्म डी-6  
गारंटी मोचन निधि

(करोड़ रुपये)

| पिछले वर्ष के अंत में लागू की गई बकाया गारंटी | वर्ष 2022-23 के अंत में जीआरएफ में बकाया राशि | वर्ष 2023-24 के दौरान राशि गारंटी लागू होने की संभावना है | वर्ष (2023-24) के दौरान जीआरएफ में वृद्धि | वर्ष (2023-24) के दौरान जीआरएफ से निकासी | वर्ष (2023-24) के अंत में जीआरएफ में बकाया राशि |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                             | 2                                             | 3                                                         | 4                                         | 5                                        | 6                                               |
| शून्य                                         | 24.42                                         | शून्य                                                     | 2.00                                      | 0.00                                     | 26.42                                           |

**फॉर्म डी-7**  
(नियम 7 देखें)  
संपत्ति का विवरण

|                                                                 | रिपोर्टिंग वर्ष अर्थात् 2022-23 की शुरुआत में संपत्ति | रिपोर्टिंग वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित संपत्ति।                     |                                 |                                 | रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् 2022-23 के अंत में संचयी कुल संपत्ति |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                       | सम्बंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा किए गए समाधान के बाद समायोजन के करण* | 2022-23 के दौरान अर्जित संपत्ति | 2022-23 के दौरान अर्जित संपत्ति |                                                               |
|                                                                 | बुक वेल्यू<br>(करोड़ रुपये)                           | बुक वेल्यू<br>(करोड़ रुपये)                                          | बुक वेल्यू<br>(करोड़ रुपये)     | बुक वेल्यू<br>(करोड़ रुपये)     | बुक वेल्यू<br>(करोड़ रुपये)                                   |
| वित्त लेख के साथ तुलना की जाने वाली अनंतिम राशि                 |                                                       |                                                                      |                                 |                                 |                                                               |
| वित्तीय पूंजी                                                   |                                                       |                                                                      |                                 |                                 |                                                               |
| ऋण और अग्रिम                                                    | 1908.69                                               |                                                                      | 58.20                           |                                 | 1966.89                                                       |
| स्थानीय निकायों को ऋण                                           | 14.65                                                 |                                                                      | 0.00                            |                                 | 14.65                                                         |
| कंपनियों को ऋण                                                  | 1302.10                                               |                                                                      | 59.33                           |                                 | 1361.63                                                       |
| अन्य को ऋण                                                      | 591.94                                                |                                                                      | (-)1.33                         |                                 | 590.61                                                        |
| इक्विटी निवेश                                                   | 5499.29                                               |                                                                      | 432.46                          |                                 | 5931.75                                                       |
| शेयर                                                            |                                                       |                                                                      |                                 |                                 |                                                               |
| बोनस शेयर                                                       |                                                       |                                                                      |                                 |                                 |                                                               |
| भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में निवेश |                                                       |                                                                      |                                 |                                 |                                                               |
| 14-दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय बिलों में निवेश                    |                                                       |                                                                      |                                 |                                 |                                                               |
| अन्य वित्तीय निवेश (कृपया निर्दिष्ट करें)                       |                                                       |                                                                      |                                 |                                 |                                                               |
| <b>कुल</b>                                                      | <b>7407.98</b>                                        |                                                                      | <b>490.66</b>                   |                                 | <b>7898.64</b>                                                |
| <b>भौतिक संपत्ति:</b>                                           |                                                       |                                                                      |                                 |                                 |                                                               |
| भूमि                                                            | 146530                                                | -447.4                                                               | 979                             |                                 | 147062                                                        |
| भवन-आधिकारिक/आवासीय                                             | 59778                                                 | 17.4                                                                 | 1436                            |                                 | 61231                                                         |
| सड़कें                                                          | 45214                                                 | -3.2                                                                 | 1561                            |                                 | 46773                                                         |
| पुल                                                             | 3735                                                  | 0.1                                                                  | 124                             |                                 | 3859                                                          |

|                       |               |                 |             |               |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| सिंचाई परियोजनाएँ     | 6541          | -3.3            | 21          | 6559          |
| विद्युत परियोजनाएँ    | 211           | 0.0             | 99          | 310           |
| अन्य पूंजी परियोजनाएँ | 25009         | -1.5            | 889         | 25897         |
| मशीनरी और उपकरण       | 9886          | -894.8          | 362         | 9353          |
| कार्यालय उपकरण        | 1485          | -150.9          | 71          | 1405          |
| वाहन                  | 2104          | -25.1           | 160         | 2239          |
| विविध                 | 1058          | 30.4            | 3           | 1091          |
| <b>कुल</b>            | <b>301551</b> | <b>-1478.27</b> | <b>5705</b> | <b>305779</b> |

**फॉर्म डी-8**  
(नीयम 7 देखें)

**कर राजस्व बढ़ाया गया लेकिन वसूली नहीं हुई**  
(मूल कर)  
(रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में)

|              |                                           | विवादों के अंतर्गत राशि<br>(करोड़ रुपये) |                                   |                                    |                 |        | विवाद रहित राशि<br>(करोड़ रुपये)  |                                  |                                   |                 |       |         |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|---------|
| प्रमुख शीर्ष | विवरण                                     | 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम        | 2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम | 5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम | 10 वर्ष से अधिक | कुल    | 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम | 2 वर्ष से ऊपर लेकिन 5 वर्ष से कम | 5 वर्ष से ऊपर लेकिन 10 वर्ष से कम | 10 वर्ष से अधिक | कुल   | कुल योग |
|              | आय एवं व्यय पर कर                         |                                          |                                   |                                    |                 |        |                                   |                                  |                                   |                 |       |         |
|              | कृषि आयकर                                 |                                          |                                   |                                    |                 |        |                                   |                                  |                                   |                 |       |         |
|              | व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर |                                          |                                   |                                    |                 |        |                                   |                                  |                                   |                 |       |         |
|              | संपत्ति एवं पूंजी सेवाओं पर कर            |                                          |                                   |                                    |                 |        |                                   |                                  |                                   |                 |       |         |
|              | भू राजस्व                                 |                                          |                                   |                                    |                 |        |                                   |                                  |                                   |                 |       |         |
|              | स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क                  | 260.65                                   | 226.21                            | 36.78                              | 199.65          | 723.29 | 15.9                              | 0.09                             | 19.16                             | 0.02            | 35.17 | 758.46  |



**फॉर्म डी-9**  
(नियम 7 देखें)  
**विविध देयताओं का विवरण: बकाया**  
(करोड़ रुपये)

|                                                                | बकाया राशि *   |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| प्रमुख कार्य एवं संविदाएं                                      | <b>355.34</b>  |
| भूमि अधिग्रहण प्रकार के संबंध में प्रतिबद्ध देयताएं            | <b>1403.35</b> |
| कार्य और आपूर्ति के संबंध में भुगतान न किए गए बिल, संबंधी दावे | <b>1027.65</b> |

\*बकाया राशि चालू वर्ष से पहले वर्ष के लिए मार्च के अंत की स्थिति से संबंधित है।

**फॉर्म डी-10**  
(नियम 7 देखें)  
**कर्मचारियों की संख्या और संबंधित वेतन व्यय का विवरण**

**भाग-I**  
**सरकारी विभागों में कर्मचारी**

| मांग संख्या एवं विवरण | चालू वर्ष में कर्मचारियों की संख्या (2023-24) | वेतन व्यय                             |                                   |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                                               | पिछले वर्ष (2022-23) की वास्तविक राशि | चालू वर्ष (2023-24) का बजट अनुमान | चालू वर्ष (2023-24) का संशोधित अनुमान |
| सभी मांगें            | 3.61 लाख                                      | 27838                                 | 33530                             | 30434                                 |
|                       |                                               |                                       |                                   | अगले वर्ष (2024-25) का बजट अनुमान     |
|                       |                                               |                                       |                                   | 29412                                 |

| सार्वजनिक क्षेत्र इकाई का नाम                      | नियंत्रक प्रशासनिक विभाग का नाम | वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों की संख्या | वैतन व्यय          |                      |                          |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                    |                                 |                                        | वास्तविक (2022-23) | बजट अनुमान (2023-24) | संशोधित अनुमान (2023-24) | बजट अनुमान (2024-25) |
| जम्मू एवं कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन निगम         | बागवानी                         | 29                                     | 3.00               | 3.00                 | 3.00                     | 3.00                 |
| जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम                  | समाज कल्याण                     | 37                                     | 3.36               | 3.05                 | 3.3                      | 3.33                 |
| जम्मू एवं कश्मीर/एससी/एसटी, पिछड़ा वर्ग विकास निगम |                                 | 86                                     | 7.29               | 11.15                | 10.26                    | 10.38                |
| उप-जोड़ (समाजकल्याण) :-                            |                                 | 123                                    | 10.65              | 14.2                 | 13.56                    | 13.71                |
| जम्मू एवं कश्मीर केवीआईबी                          | उद्योग एवं वाणिज्य              | 175                                    | 27.0019            | 32                   | 29.58                    | 29.70                |
| जे एंड के सिडको                                    |                                 | 194                                    | 24                 | 24.5                 | 24.5                     | 25.5                 |
| जम्मू एवं कश्मीर सिकोप                             |                                 | 189                                    | 32.01              | 32                   | 32.5                     | 33                   |
| जे एंड के हथकरघा विकास निगम                        |                                 | 98                                     | 8.6                | 9.48                 | 9.8                      | 8.04                 |
| जे एंड के हस्तशिल्प (एसएंडई) निगम                  |                                 | 94                                     | 6.6                | 6.41                 | 6.23                     | 5.43                 |
| जे एंड के इंडस्ट्रीज लिमिटेड                       |                                 | 242                                    | 22.24              | 19.83                | 20.32                    | 17.35                |
| निदेशक इंडीआई                                      |                                 | 164                                    | 14.21              | 17                   | 18.53                    | 19.7                 |
| जेके टीपीओ                                         |                                 | 9                                      | 0.9212             | 1.1553               | 1.0438                   | 1.0738               |
| उप-कुल (उद्योग एवं वाणिज्य):-                      |                                 | 1165                                   | 135.5831           | 142.3753             | 142.5038                 | 139.7938             |
| जम्मू-कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन              | घर                              | 46                                     | 13.29              | 20.32                | 20.32                    | 22.35                |
| जेके टीडीसी कॉर्पोरेशन                             | पर्यटन                          | 511                                    | 39.6               | 38.08                | 39.1                     | 38.5                 |
| जेके स्टेट केबल कॉर्पोरेशन                         |                                 | 98                                     | 8.49               | 11.00                | 11.00                    | 11.5                 |
| उप-जोड़ (पर्यटन):-                                 |                                 | 609                                    | 48.09              | 49.08                | 50.1                     | 50                   |
| कश्मीर विद्युत विद्युत वितरण निगम लिमिटेड          | विद्युत विकास                   | 11616                                  | 451.12             | 466.083              | 475.688                  | 480.288              |
| जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड                   |                                 | 7026                                   | 354.807            | 368.857              | 370.678                  | 382.023              |
| जम्मू-कश्मीर विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड           |                                 | 2735                                   | 141.809            | 142.31               | 146.874                  | 148.486              |
| जम्मू-कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड                  |                                 | 206                                    | 9.387              | 12.262               | 9.297                    | 2.925                |
| जम्मू-कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड            |                                 | 4807                                   | 143.83             | 279.97               | 279.97                   | 310                  |
| उप-जोड़ (विद्युत विकास) :-                         |                                 | 26390                                  | 1100.953           | 1269.482             | 1282.51                  | 1323.722             |

|                                                |                               |       |           |           |         |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम                 | जंगल                          | 1632  | 98.15     | 110.97    | 114.53  | 122.81    |
| जम्मू एवं कश्मीर आरटीसी                        | परिवहन                        | 2245  | 82.01     | 83.96     | 79.65   | 79.65     |
| जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख वित्त निगम         | वित्त                         | 123   | 9.15      | 9.15      | 9.15    | 9.2       |
| श्रीनगर विकास प्राधिकरण                        | आवास एवं शहरी विकास           | 382   | 16.17     | 24.52     | 21.49   | 26.63     |
| जम्मू विकास प्राधिकरण                          |                               | 383   | 25.62     | 35.98     | 31.31   | 38.40     |
| जम्मू एवं कश्मीर हाउसिंग बोर्ड                 |                               | 122   | 13.67     | 19.5      | 16.70   | 19.65     |
| उप-कुल (आवास एवं शहरी) :-                      |                               | 887   | 55.46     | 80        | 69.5    | 84.68     |
| जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम         | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा | 18    | 2.99      | 2.09      | 3.44    | 3.45      |
| जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड | पीडब्लू (आर एंड बी)           | 601   | 50.5      | 65.19     | 65.19   | 61.13     |
| जे एंड के मिनरल्स लिमिटेड                      | खनन विभाग                     | 592   | 27.18     | 27.01     | 27.01   | 29.71     |
| कुल योग :-                                     |                               | 34460 | 1637.0061 | 1876.8273 | 1880.46 | 1943.2058 |

क. स्थानीय निकायों के अलावा अन्य सहायता प्राप्त संस्थानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| सहायता प्राप्त संस्थान का नाम                        | प्रशासन विभाग का नाम | कर्मचारियों की संख्या | पिछले वर्ष (2022-23) की वास्तविक राशि | बजट अनुमान (2023-24) | संशोधित अनुमान (2023-24) | बजट अनुमान (2024-25) |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| इम्पा                                                | सामान्य प्रशासन      | 129                   | 14.61                                 | 14.60                | 24.00                    | 24.00                |
| सहकारी समितियाँ (नंबर 805)                           | सहकारी               | 1000                  | 28.50                                 | 4.50                 | 20.00                    | 9.94                 |
| उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई)                       | उद्योग एवं वाणिज्य   | 164                   | 14.22                                 | 17.00                | 10.00                    | 10.00                |
| मादरे मेहरबान कल्याण संस्थान (एमएमडब्ल्यूआई)         | समाज कल्याण          | 0                     | 0                                     | 0                    | 0                        | 0                    |
| रूसा                                                 | उच्चतर शिक्षा        | 43                    | 3.63                                  | 3.68                 | 3.68                     | 103.88               |
| कश्मीर विश्वविद्यालय                                 |                      | 2884                  | 285                                   | 290                  | 295                      | 298.70               |
| जम्मू विश्वविद्यालय                                  |                      | 1826                  | 215                                   | 218                  | 223                      | 225.54               |
| इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कश्मीर |                      | 828                   | 35                                    | 35                   | 40                       | 40                   |
| बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय                  |                      | 593                   | 23                                    | 23                   | 24                       | 24                   |
| श्री माता वैष्णोव देवी विश्वविद्यालय, कटरा           |                      | 530                   | 23                                    | 23                   | 24                       | 24                   |
| क्लस्टर यूनिवर्सिटी के/जे                            |                      | 223                   | 10.16                                 | 11                   | 11                       | 11.33                |
| स्कूल ऑफ आर्टिटेक्चर, कश्मीर                         |                      | 10                    | 0.18                                  | 2.15                 | 2.15                     | 2.22                 |
| स्कूल ऑफ आर्टिटेक्चर, जम्मू                          |                      | 10                    | 0.13                                  | 0.09                 | 0.90                     | 0.93                 |
| अन्य कॉलेजों के लिए जीआईए                            |                      | 115                   | 1                                     | 1.15                 | 1.15                     | 1.18                 |
| इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, कश्मीर          |                      | 176                   | 29.43                                 | 28                   | 33                       | 33                   |
| गांधी मेमोरियल कॉलेज (गैर-प्रवासी), श्रीनगर          |                      | 122                   | 8.35                                  | 10                   | 10                       | 10.50                |
| विश्व भारती महिला कॉलेज, रैनावाड़ी, श्रीनगर          |                      | 98                    | 8.11                                  | 9.5                  | 9.5                      | 9.88                 |
| गांधी मेमोरियल कॉलेज (प्रवासी) जम्मू                 |                      | 0                     | 0.79                                  | 0.56                 | 0.42                     | 0                    |
| जेके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, श्रीनगर       |                      | 25                    | 0.51                                  | 1.37                 | 1.37                     | 0.50                 |
| कुल :-                                               |                      | <b>8776</b>           | <b>700.62</b>                         | <b>692.6</b>         | <b>733.17</b>            | <b>829.59</b>        |

|                                                                                      |                               |       |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| पर्यटन विकास प्राधिकरण (21 नंबर)/गोल्फकोर्स/एसकेआईसीसी कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी | पर्यटन                        | 457   | 60.08   | 57.74   | 59.55   | 71.34   |
|                                                                                      | संस्कृति                      | 158   | 14.586  | 14.453  | 9.42    | 9.53    |
| जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद                                                           | युवा सेवाएँ एवं खेल           | 541   | 26.31   | 28.99   | 50.00   | 50.00   |
| जम्मू एवं कश्मीर बोट                                                                 | कौशल विकास                    | 21    | 0.77    | 0.77    | 1.27    | 0.8     |
| जम्मू एवं कश्मीर कौशल विकास मिशन                                                     |                               | 35    | 2.43    | 1.98    | 0.2     | 0.2     |
| कुल :-                                                                               |                               | 1212  | 104.176 | 103.933 | 135.32  | 146.64  |
| शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएसटी-के)             | कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण | 1867  | 282.55  | 279.41  | 279.41  | 284.41  |
| शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएसटी-जे)             |                               | 564   | 127.74  | 130.00  | 130.00  | 132.30  |
| कुल :-                                                                               |                               | 2431  | 410.29  | 409.41  | 409.41  | 416.71  |
| कुल :-                                                                               |                               | 12419 | 1215.08 | 1205.94 | 1277.90 | 1392.94 |

फॉर्म डी-10  
(नियम 7 देखें)

भाग-III

ख. सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों का विवरण

| सहायता प्राप्त संस्थान का नाम | नियंत्रक प्रशासनिक विभाग का नाम | कर्मचारियों की संख्या | वर्ष 2022-23 की वास्तविक राशि | बजट अनुमान 2023-24 | संशोधित अनुमान 2023-24 | बजट अनुमान 2024-25 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| श्रीनगर नगर निगम              | आवास एवं शहरी विकास             | 3265                  | 212.01                        | 204.53             | 250.12                 | 257.92             |
| जम्मू नगर निगम                |                                 | 2758                  | 162.96                        | 178.47             | 181.7                  | 177.04             |
| एलसीएमए                       |                                 | 206                   | 18.79                         | 21.57              | 18.77                  | 19.44              |
| एनयूएलएम (एसयूडीए/डीयूडीए)    |                                 | 162                   | 10.49                         | 10.90              | 10.93                  | 10.63              |
| केडीए (यूडी)                  |                                 | 7                     | 0.5                           | 0.55               | 0.54                   | 0.55               |
| एसएमआरडीए                     |                                 | 4                     | 0.33                          | 0.34               | 0.56                   | 0.55               |
| जेएमआरडीए                     |                                 | 7                     | 0.34                          | 0.54               | 0.83                   | 0.82               |
| भवन केंद्र                    |                                 | 12                    | 1.08                          | 0.91               | 0.98                   | 1.02               |
| कुल :                         |                                 | 6421                  | 406.5                         | 417.81             | 781.05                 | 815.21             |

**PRINTED AT RANBIR GOVERNMENT PRESS, JAMMU**